Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 5-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 30, 2018 (MAGHA 10, 1939 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग,

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2018

संख्या 80–स.क.(4)–2018.– स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61), की धारा 78 तथा 71 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नशामुक्ति केन्द्र नियम, 2010, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. ये नियम हरियाणा नशामुक्ति केन्द्र (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नशामुक्ति केन्द्र नियम, 2010 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया हैं) में, नियम–3 मेंः–

(i) उप–नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थातः–

''(1) राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :–

(i)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग	सरकारी सदस्य
(ii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग	सरकारी सदस्य
(iii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, महिला तथा बाल विकास विभाग	सरकारी सदस्य
(iv)	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा या उसका प्रतिनिधि जो अपर महानिदेशक, पुलिस की पदवी से नीचे का न हो	सरकारी सदस्य

(v)	निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा	सरकारी सदस्य
(vi)	निदेशक, उच्चत्तर शिक्षा विभाग, हरियाणा	सरकारी सदस्य
(vii)	महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा	सदस्य सचिव
(viii)	राज्य के इस क्षेत्र में कार्यरत विद्यमान गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)के दो प्रतिनिधि	गैर सरकारी सदस्य
(ix)	दो प्रतिष्ठित समाज सेवी	गैर सरकारी सदस्य
(x)	स्वापक अनाम तथा मद्यसारिक अनाम के प्रतिनिधि	गैर सरकारी सदस्य

(2) वरिष्ठतम प्रशासकीय सचिव समिति की अध्यक्षता करेगा। राज्य स्तरीय समिति तीन मास में बैठक करेगी।'',

(ii) उपनियम (3) में, खण्ड (vii) का लोप कर दिया जायेगा।

3. ''उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (3) में,–

(i) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

"(v) अनुज्ञप्ति, जब तक अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा निलम्बित, प्रतिसंहृत या रदद् नहीं की जाती, जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी;'',

(ii) खण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(viii) मनोविकृति नर्सिंग होम्स या अस्पताल, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम,1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम, 14) तथा केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम, 1990 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक हैं तथा जो नशे के आदियों को उपचार दे रहे हैं तथा देखभाल कर रहे हैं, को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट होगी। वे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम, 14) के उपबन्धों के अधीन शासित होंगे। तथापि, वे स्वंय को अनुज्ञापन प्राधिकरण से पंजीकृत करवाएंगे तथा विहित प्रोफार्मा अर्थात् मादक द्रव्य दुरूपयोग मानीटरिंग प्रणालीए में नशामुक्ति मामलों का डाटा प्रस्तुत करेंगे। मानीटरिंग पर्येवेक्षण तथा निरीक्षण के सम्बन्ध में वे जिला स्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र के अधीन भी होंगे; '',

(iii) खण्ड (x) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :–

''(xi) अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है यदि केन्द्र के निरीक्षण पर यह पाया जाता हैं कि केन्द्र द्वारा इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट देखभाल के न्यूनतम् मानकों की अनुपालना नहीं की जा रहीं हैं या मानव अधिकारों के उल्लघंन की कोई रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति से प्राप्त होने पर या यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के ध्यान में कोई ऐसी शिकायत आती है;

(xii) देखभाल के न्यूनतम मानकों में किसी कमी या मानव अधिकारों के उल्लंघन की जिला स्तरीय समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे निलम्बन आदेशों के जारी होने की तिथि से अनुज्ञप्ति निलम्बित कर सकता है। अनुज्ञापन प्राधिकरण पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर जांच आरम्भ करवा सकता हैं;

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा यथा गठित जांच समिति द्वारा ऐसे केन्द्र को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। समिति, एक मास की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी और जांच समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकरण उस पर निर्णय करेगा;

(xiii) व्यथित व्यक्ति महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा के पक्ष में भुगतान–योग्य डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में तीन सौ रूपये की फीस सहित ऐसे रद्दकरण की सूचना की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के विरूद्ध अपील दायर कर सकता हैं।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''7. अपील.– आवेदक प्ररूप III में उसको अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील प्राधिकरण के सम्मुख अपील दायर कर सकता है। अपील प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:–

(i)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग	सदस्य
(ii)	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
(iii)	निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा	सदस्य सचिव।''।

5. उक्त नियमों में,नियम 8 में;

(i) उपनियम (1) में, खण्ड (iii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जायंगे, अर्थात् :–

''(iv) मनोचिकित्सक, जहां कहीं उपलब्ध हो, सहित स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि — सदस्य

(v) समाज सेवकों,मनौवैज्ञानिकों तथा अन्य समाज वैज्ञानिकों तथा पूर्व नशे के आदियों का एक प्रतिनिधि — सदस्य''; तथा

(ii) उप–नियम (2) में,खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(iii) नशामुक्ति केन्द्रों, काउंसलिगं केन्द्रों के कृत्यों तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा दो मास के भीतर लिए गए निर्णय को लागू करने के सम्बन्ध में की गई प्रगति से राज्य स्तरीय समिति को अवगत करवाएगी।''।

6. उक्त नियमों में, नियम 9 में,–

(i) उप–नियम (1) में, खण्ड (ग) में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात्:–

''(ख) काउसलिंग केन्द्र–एवं–पुनर्व्यवस्थान के लिए –

(i) परियोजना निदेशक/प्रोग्राम अधिकारी– एक

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नशामुक्ति उपचार में प्रशिक्षण सहित अधिमानतः मनोविज्ञान तथा समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में एम0ए0 की मूल अर्हता सहित तीन सामाजिक कार्यकर्ता/काउंसलर;

(iii) तीन वार्ड परिचर–मूल योग्यता 10+2, स्थानीय केन्द्र पर तीन मास के भीतर पदार्थ आश्रितों को सम्भालने के लिये अनुकूलन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना;

(iv) दो सुरक्षा रक्षक/चौकीदार;

(v) दो सफाई कर्मचारी;

(vi) दो अभिजात शिक्षक वैकल्पिक;

(vii) एक कुक एवं हैल्पर वैकल्पिक या बाहर से ताजा पोषण आहार के लिये नियमित प्रबन्ध;

(viii) काउंसलिंग एवं पुनर्व्यवस्थापन केन्द्र के लिये, केन्द्र प्रभारी ऐसा व्यक्ति जो मनोविज्ञान/समाजशास्त्र/समाज सेवा मे स्नातकोत्तर की योग्यताएं रखता हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो डाक्टर (एम.बी.बी.एस.) हो।

टिप्पणः– काउंसलिंग एवं पुनर्व्यवस्थापन केन्द्र के लिये अनुज्ञप्ति संस्थान सहित व्यक्ति प्रभारी के नाम से प्रदान की जाएगी। व्यक्ति को केवल एक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ;'',

(ii) उप–नियम (1) के बाद, निम्नलिखित नियम जोडे जाएंगे, अर्थात्:–

''(2) केन्द्र केवल पन्द्रह बैड संख्या के लिये विनिर्दिष्ट मानव शक्ति का रख–रखाव करेगाः

परन्तु, पन्द्रह बैड संख्या से अधिक के लिये अनुज्ञप्ति की दशा में, डाक्टर/मनोवैज्ञानिक को छोडकर, विहित मानदण्डों के गुणज में अपेक्षित मानव शक्ति को नियोजित करना होगा।

(3) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के एक वर्ष के भीतर केन्द्र, भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा यथा विकसित ऐसे केन्द्रो के लिए एन.ए.बी.एच. प्रत्यायन प्राप्त करेगा।''।

7. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप–नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(1क) कोई भी रोगी जब तक काउन्सलिंग केन्द्र में तब तक दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक वह किसी मनोविकृति सम्बन्धी नर्सिंग होम/अस्पताल में डेक्सोफिकेशन अधीन न हो। यह तथ्य प्रमाण–पत्र के रूप में रिकार्ड पर होगा।''।

8. उक्त नियमों में, नियम 10 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''11 मादक द्रव्य आदी मानिटरिंग प्रणाली.– (1) भारत सरकार द्वारा यथा विकसित मादक द्रव्य आदी मानिटरिंग प्रणाली (डी.ए.एम.एस.) प्रफोर्मा, साफटवेयर फार्मेट में विकसित किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर डाटा एनालाइसन तथा विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्त नशामुक्ति/काउन्सलिंग केन्द्रों को लागिन/पासवर्ड जारी किया जाएगा। साफटवेयर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा।

(2) मादक द्रव्य आदी मानिटरिंग प्रणाली (डी.ए.एम.एस.) का डाटा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा के साथ सांझा किया जाएगा।''।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 16th January, 2018

No. 80-SW(4)-2018.— In exercise of the powers conferred by section 78 and sub- section (1) read with Sub-section (2) of section 71 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,1985 (Central Act 61 of 1985), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana De-addiction Centres, Rules, 2010, namely:-

1. These rules may be called the Haryana De-addiction (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana De-addiction Centres Rules, 2010 (hereinafter called the said rules),in rule 3,-

(i) for sub-rules (1) and (2),the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) There shall be State Level Committee, comprising of the following official and non-official members, namely:-

(i)	Administrative Secretary, Health Department	Official Member
(ii)	Administrative Secretary, Social Justice and Empowerment	Official Member
(iii)	Administrative Secretary, Women & Child Development Department	Official Member
(iv)	Director General of Police or his representative not below the rank of Additional Director General of Police	Official Member
(v)	Director, Social Justice and Empowerment Department	Official Member
(vi)	Director, Higher Education Department	Official Member
(vii)	Director General, Health Services	Member Secretary
(viii)	Two representatives of existing NGOs working in this field of the State.	
(ix)	Two Social Workers of repute.	
(x)	Two representatives of Narcotics Anonymous and Alcoholics Anonymous.	

(2) The Senior Most Administrative Secretary shall chair the Committee. The State Level Committee shall meet once in a quarter.".

(ii) in the sub-rule (3), clause (vii) shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (3),-

(i) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(v) a license shall be valid for a period of three years from the date of issue unless suspended, revoked or cancelled by the Licensing authority;";

(ii) for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(viii) the Psychiatry Nursing Homes or Hospitals which are holding License under the Mental Health Act,1987(Central Act 14 of 1987) and the Central Mental Health Authority Rules,1990 and are providing treatment and care to substance dependents, shall be exempted from obtaining Licence. They shall be governed under the provisions of the Mental Health Act,1987(Central Act 14 of 1987), however, they shall have to get themselves registered with the Licensing authority and submit data on de-addiction cases in the prescribed proforma i.e. Drug Abuse Monitoring System. They shall also be under the purview of the District Level Committee as regards monitoring supervision and inspection;";

(iii) after clause (x), the following clauses shall be added, namely:-

"(xi) cancel the license if on inspection of the Centre, it is found that the Centre is not adhering to the minimum standards of care as specified in these rules or on receipt of any report of violation of the human rights from the District Level Committee or if any such complaint comes to the notice of the Licensing authority;

(xii) may suspend the License on receipt of report from the District Level Committee of any deficiency in the minimum standards or care or violation of human rights from the date of issue of such suspension orders. The Licensing authority may initiate inquiry within a period of fifteen days;

Provided that such Centre shall be given an opportunity of being heard by the inquiry committee as constituted by the Licensing authority. The Committee shall submit its report within a period of one month to the Licensing authority, on receipt of the report the inquiry committee; the Licensing authority shall take decision thereon;

(xiii) hear an appeal of an aggrieved person preferred against the cancellation of license within a period of thirty days from the date of intimation of such cancellation alongwith fee of three hundred rupees by way of demand draft payable in favour of Director General Health Services, Haryana.".

4. In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"(7) Appeal.- An applicant may prefer appeal before the Appellate Authority against the order of the Licensing authority in case Grant of license is denied to him in Form III. There shall be Appellate Authority comprising of the following members; namely:-

(i)	Administrative Secretary, Social Justice and Empowerment Department	Member
(ii)	Administrative Secretary, Health Department	Member
(iii)	Director, Social Justice and Empowerment Department	Member Secretary.".

5. In the said rule, in rule 8,-

(i) in sub-rule (1), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv)	one representative of the Health Department including psychiatrist wherever available	Member
(v)	one representative of the Social Workers, Psychologists and other Social Scientist and an Ex-addicts	Member,".

(ii) In sub-rule (2), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) to apprise the State Level Committee about the functioning of Centres, Counselling Centres and with regard to the progress made in the implementation of the decision taken by the State Level Committee within two months.".

6. In the said rules, In rule 9,-

(i) in sub-rule(1), in clause C, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

"(b) For Counseling Centre-cum-Rehabilitation Centre

(i) Project Director/Programme Officer-one;

(ii) Three Social Workers/Counsellors with Basic qualification of MA in Psychology, Sociology or Social Work preferably with training in de-addiction treatment from a recognized institution;

(iii) Three Ward Attendants-Basic qualification 10+2, Orientation training to handle substance dependants to be provided at the Centre locally within three months;

(iv) Two securing guards/Chowkidars;

(v) Two Safai Karamcharis;

(vi) Peer Educators (Optional);

(vii) One Cook cum Helper (Optional) or regular arrangements for fresh nutritious food from outside;

(viii) Centre incharge, for a Counselling-cum-Rehabilitation Centre shall be a person with qualifications of M.A. Psychology/Sociology/Social Work or any persons who is a Doctor (MBBS).

Note:- The licenses for Counseling-cum-Rehabilitation Centre shall be granted in the name of person incharge along with the institution. Only one license shall be granted to a person,";

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be added, namely:-

"(2) The Centres shall be maintained with the specified manpower for a bed strength of only fifteen:

Provided that in case of License exceeding a bed strength of 15 beds, the requisite manpower in multiples of prescribed norms except for a doctor or psychiatrist shall be employed.

(3) The centre within a year of grant of license shall get NABH accreditation for such centres as developed by Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.".

7. In the said rules, in rules 10, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) No patient shall be admitted to a Centre till he undergoes detoxification from a Psychiatric Nursing Home/Hospital. This fact shall be on record as a certificate.".

8. In the said rules, after the rule 10, the following rules shall be added, namely:-

"11. Drug Addicts Monitoring System:- (1) The Drug Addicts Monitoring System proforma as developed by the Government of India, shall be developed in a software format and the login/password shall be issued to very licensed De-addiction/Counseling Centres for the purpose of data assimilation and analysis at the State Level. The software shall be developed by the Health Department.

(2) The data of Drug Addicts Monitoring System shall be maintained by the Health Department and shared with Social Justice and Empowerment Department, Haryana.".

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.

55888—C.S.—H.G.P., Chd.